रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] **नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938**

No. 397] **NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938**

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 18-12/2016 सिद्ध (सिलेबस-यू.जी.) – भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ''भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथाः-

1.संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 की विद्यमान अनुसूची-II के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुसूची-II

(विनियम 6 देखें)

सिद्ध मरूथुवा अरिग्नार पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम स्तर

1. उद्देश्य एवं प्रयोजन

सिद्ध की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रगति के ज्ञान सहित सिद्ध का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातक तैयार करना होगा जो कि स्वास्थ्य-सेवा कार्य करने में पूर्णतः सक्षम एवं दक्ष सिद्ध के काय-चिकित्सक एवं शल्य-चिकित्सक होगें।

2. प्रवेशार्हता :- सिद्ध की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता निम्न प्रकार हैं :-

(क) विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में 50ः समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रों 10+2 के बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंकों में छूट दी जायेगी।

(ग) अभ्यर्थी ने दसवी कक्षा या हायर सैकन्डरी पाठ्यक्रम तमिल विषय सहित उत्तीर्ण किया हो।

(घ) जो अभ्यर्थी उपर्युक्त खण्ड (ग) के अधीन नहीं आता है उसे प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में तमिल का अध्ययन करना होगा।

(ड) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

3. पाठ्यक्रम की अवधि :- पाठ्यक्रम की अवधि पॉच वर्ष एवं छः माह होगी

जिसमें समाविष्ट है-

(क) प्रथम व्यावसायिक	-	12 माह
(ख) द्वितीय व्यावसायिक	-	12 माह
(ग) तृतीय व्यावसायिक	-	12 माह
(घ) अंतिम व्यावसायिक	-	18 माह
(ड़) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश	-	12 माह

4. प्रदान की जाने वाली उपाधि :-

अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने, सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को पूर्ण करने के पश्चात् सिद्ध मरूथवा अरिग्नार (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.एस.एम.एस.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

5. शिक्षा का माध्यम :-पाठ्यक्रम की शिक्षा का माध्यम

तमिल अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

6. परीक्षा की प्रणालीः- (1)

(क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर होगी।

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथाः-

(i) सिद्ध मरूथुवा अदिप्पडई थाथुवनगलुम वरालारूम (इतिहास एवं मौलिक सिद्धान्त ऑफ सिद्ध चिकित्सा);

(ii) तमिल भाषा और अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी (जहां लागू है);

(iii) उयीर वेधियाल (बायो कैमेस्ट्री)ः

(iv) मरूथुवा थवारलयाल (मेडिसनल बॉटनी एवं फार्माकोलॉजी) ; एवं

(v) नुन्नुयिरियाल (माईक्रो बायोलोजी)

(ग) प्रथम व्यावसायिक पाठ्क्रम में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्क्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नही होगी एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय उत्तीर्ण करने के अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।

(2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रथम व्यावसायिक परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथाः-

(i) उडल कूरूगल (एनाटॉनी) पेपर I;

(ii) उडल कूरूगल (एनाटॉनी) पेपर II;

(iii) उडल थथुवम (फिजियोलॉजी) पेपर I;

(iv) उडल थथुवम (फिजियोलॉजी) पेपर II;

(v) सिद्ध मरूथुवा मूलिगई अरिवियाल (सिद्ध मेडिसनल हर्बल साईन्स); एवं

(vi)सिद्ध मरूथुवा कनिमा, कनिमा वेथियाल एवं सिद्ध मरूथुवा विलानगियल (सिद्ध मेडिसनल जियोलोजी, मेडिसनल कैमेस्ट्री एवं मेडिसनल जूलोजी)

(ग) द्वितीय व्यावसायिक के अनुत्तीर्ण छात्र जिसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन छात्र को तब तक अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी तब तक छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय अधिकतम तीन वर्षों में उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम चार अवसर दिए जायेगें।

(3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा, :-

(i) नोई नाडल-पेपर I (सिद्ध पैथोलॉजी);

(ii) नोई नाडल-पेपर II (प्रींसिपल्स ऑफ मॉर्डन पैथोलॉजी);

(iii) नोई अनुगाविधी ओझुक्कम (हाईजीन एवं कम्यूनिटी मेडिसिन इन्कुलिडिंग नेशनल हेल्थ पोलिसिज एवं स्टेस्टीक्स);

(iv) सत्तम सार्नथ मरूथुवमुम नन्जू मरूथुवमुम (फोरेन्सीक मेडिसिन एवं टोक्सीकोलॉजी); एवं

(v) रीसर्च मेथोडोलॉजी एवं मेडिकल स्टेटीक्स

(ग) तृतीय व्यावसायिक अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा उसे अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जायेगी एवं उसे अधिकतम तीन वर्षों में तृतीय व्यावसायिक परीक्षा चार अधिकतम अवसरों में उत्तीर्ण करने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) अनुसंधान प्रणाली के शैक्षणिक अध्ययन हेतु पार्ट-टाईम बायो-स्टेटिशियन की अनुसंधान प्रणाली की शिक्षा देने हेतु आवश्यकता होगी।

(4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र 1 वर्ष एवं छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के 1) वर्ष एवं छः माह पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होगें :-

(i) मरूथुवम (मेडिसिन);

(ii) वर्मम, पुरामरूथुवम एवं सिराप्पू मरूथुवम (वर्मम थेरापी, एक्सर्टनल थेरापी एवं स्पेशल मेडिसिन);

(iii) अरूवई, थोल मरूथुवम सर्जरी इन्कुलिडिंग डेन्टीस्ट्री एवं डेरमाटोलॉजी);

(iv) सूल,मगालिर मरूथुवम (ओबस्टेट्रीक्स एवं ग्यनाकोलॉजी); एवं

(v) कुझन्थई मरूथुवम (पेडियाट्रिक्स)

(ग) चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की बर्शेते छात्र की गम्भीर व्यक्तिगत बिमारी एवं अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्बन्धित विश्वविद्यालय का उप-कुलपति किसी भी व्यावसायिक परीक्षा में एक और अवसर दें अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश प्रोग्रम में पात्रता हेतु समस्त चार व्यावसायिक परीक्षाओं को उपर्युक्त सभी अवसरों अनुसार अधिकतम नो वर्षों में उत्तीर्ण करना होगा।

7. **अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश** - (1) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षाओं के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश में सम्मिलित होने का पात्र होगा एवं विशिखानुप्रवेश अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश का कार्यक्रम एवं समय विभाजन निम्न प्रकार होगाः-

(क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;

(ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नही होगा;

(घ) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न सिद्ध अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी.एच. सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा;

बशर्ते जिस राज्य में राज्य सरकार की अनुमति सिद्ध स्नातकों को आधुनिक विज्ञान के अस्पताल एवं औषधालय में अनुमति नही है एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश आयुर्वेद महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

(3) महाविद्यालय से संलग्न सिद्ध अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा :-

क्र.सं. विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
1. मरूथुवम	पैंतालिस दिन	तीन माह
2. वर्मम, पुरमारूथुवम एवं सिराप्पू मरूथुवम	पैंतालिस दिन	तीन माह
3. अरूवई, थोल मरूथुवम	एक माह	दो माह
4. सूल, मगालीर मरूथुवम	एक माह	दो माह
5. कुझन्थई मरूथुवम	पन्द्रह दिन	एक माह
6. अवसारा मरूथुवम	पन्द्रह दिन	एक माह

(4) प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल;

(ग) मान्य एवं अनुमोदित आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल;

(घ) कोई मान्य या अनुमोदित सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय

उपर्युक्त सभी संस्थान जो खण्ड (क) से (घ) तक अंकित हैं सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षु के प्रशिक्षण करने हेतु मान्य हो।

(5) <u>विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश</u>

महाविद्यालय के साथ संलग्न सिद्ध अस्पताल में 06/12 माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश एवं प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगाः-

(क) मरूथुवम-**इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह एवं 15 दिन या तीन माह निम्न क्रियाकलापों सहित होगी :-**

(i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूग्ण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का सिद्ध चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन;

(ii) नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमाग्लोबिन का आंकलन, पूर्ण हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्ठीवन परीक्षण, एवं मल परीक्षा आदि। सिद्ध पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जाँच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना;।

(iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।

(ख) <u>वर्ममः-</u>**इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह पन्द्रह दिन या तीन मास निम्न क्रियाकलापों के साथ होगी :-**

(i) वर्मम बिन्दुओं की किस्म का निर्धारण;

(ii) वर्मम प्रक्रिया एवं तकनीकी उपयोग से विभिन्न रोग विज्ञान की अवस्थाओं का निदान;

(iii) अन्तरंग एवं बाह्य चिकित्सा सहित इलाक्कुमुरई-गल प्रक्रिया;

(iv) थोकानम पर विशेष महत्व सहित विभिन्न पुरामारूथुवम प्रक्रिया एवं तकनीक;

(v) अस्थि-भंग और विस्थापन एवं उनका प्रबन्धन;

(vi) जराचिकित्सा केयर (मूपियल);

(vii) साईकेट्रिक केशों का प्रबन्धन (उलापिराज नोई); एवं

(viii) कायाकर्पम (रेजूवेनेशन थैरपी एवं योगम);

(ग) **<u>अरूवई एवं थोल मुरूथुवम :-</u> इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-**

(i) सिद्ध सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;।

(ii) अवश्यंभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन;

(iii) सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण;

(iv) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;

(v) संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग;

(vi) विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि;

(vii) नेत्र,कान, नाक, गला एवं शरीर के अन्य अंगों की सहायक साधनों के साथ जॉच

(viii) शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :-

(क) ताजा कटे/घाव को टांका लगाना;

(ख) घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी;

(ग) फोड़े का चीरा;

(घ) रसौली का उच्छेदन;

(ड.) शिरा शल्य क्रिया इत्यादि;

(च) गुदा रोगों में कारानूल का अनुप्रयोग

(ix) बाह्य रोगी विभाग स्तर से जैसे अंजनम, नसियाम, अहाई विडल प्रक्रिया ।

(x) सामान्य दांत, अव्यवस्था निर्धारण एवं प्रबन्धन

(xi) रक्तदान बैंक एवं रक्त आधान प्रक्रिया का प्रशिक्षण;

(घ) **<u>सूल, मगालीर मरूथुवम</u> -इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-**

(i) एन्टीनेटल एवं पोस्ट नेटल समस्याएं एवं उनकी उपचार एवं एंटीनेटल एवं पोस्ट नेटल देखरेख;

(ii) सामान्य एवं अनियमित प्रसव प्रबन्धन; एवं

(iii) लघु एवं बड़ी प्रसूति शल्य प्रक्रियाएं

(ड) **कुंझनथई मरूवथुवम - इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एक माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-**

(i) प्रतिरक्षण प्रोग्राम सहित नए पैदा हुए शिशु के देखरेख; एवं

(ii) महत्वपूर्ण चिकित्सा समस्याएं एवं उनका प्रबन्धन

(च) **अवसारा मरूवथुम -इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एक माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-**

(i) आहत एवं अभिघात प्रकरणों की पहचान एवं प्रथम लाईन प्रबन्धन; एवं

(ii) उनको चिहिन्त अस्पतालों में भेजने की प्रक्रिया

(6) विशिखानुप्रवेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल अथवा सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय-

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्य अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षु को:प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण में परिचित होना चाहिए;

(ii) ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचलित बिमारियों एवं उनके प्रबन्धन से परिचित होना चाहिए;

(iii) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहिये तथा इस अवधि में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये;

(iv) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिये तथा विभिन्न सरकारी, स्वास्थ्य योजनाओ/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये;।

(v) राज्य/जिला सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहियें।

(7) ग्रामीण सिद्ध औषधालय एवं अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण - ग्रामीण सिद्ध औषधालय एवं अस्पताल में छः माह के विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षु को

(i) ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचलित बिमारियों एवं उनके प्रबन्धन से परिचित होना चाहिए;

(ii) ग्रामीण जनसंख्या एवं विभिन्न प्रतिरक्षण योजनाओं के स्वास्थ्य रक्षण अध्यापन में सम्मिलित होना।

8. मूल्यांकन :-_विभिन्न विभागों में उन्हें आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

9. विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरणः (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा।

(2)यदि स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय से महाविद्यालय का है परन्तु विश्वविद्यालय वही है तो मात्र दोनो महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3)यथास्थिति संस्थान या महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

10. परीक्षाः (1) सिद्धान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और 50 प्रतिशत व्यवहारिक या नैदानिक जो प्रत्येक विषय में लागू है।

(2) विषय में 75ः अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।

(3) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

(4) परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक कक्षा में छात्र की न्यूनतम 75ः उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(5)यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। ऐसे मामलों में नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेगें तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होगें।

(6) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगाः-

(क) उपस्थिति में नियमितता

(ख) आवधिक परीक्षा एवं

(ग) प्रयोगात्मक कार्य

11.स्थानान्तरणः (1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नही दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चिति व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

12. प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त/क्रियात्मक मौखिक के लिये अंक

विषय का नाम	शिक्षण के घण्टों की संख्या			अधिकतम अंको का विवरण			
	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल
प्रथम व्यावसायिक							
1. सिद्ध मरूथुवा अदिप्पडई थाथुवनगलुम वरालारू (हिस्ट्री एवं फण्डामेन्टल प्रींसिपल ऑफ सिद्ध मेडिसिन)	150	---	150	एक	100	---	100
2. विनियम 2 के खण्ड (बी) एवं (सी) प्रवेश के लिए योग्यता तमिल भाषा लागू है	100	---	100	एक	100	---	100
3. अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी	100	---	100	एक	100	---	100
4. उयीर वेधियाल (बायो-कैमिस्ट्री)	150	100	250	एक	100	100	200
5. मरूथुवा थावरा इयल (मेडिसनल बोटनी एवं फार्माकोनोजी)	200	100	300	एक	100	100	200
6. नुन्नुयिरीयल (माईक्रो बायोलोजी)	100	100	200	एक	100	100	200
द्वितीय व्यावसायिक							
1. उडल कूरूगल (एनाटोमी)	200	150	350	दो	200	100	300
2. उडल थाथुवम (फिजियोलोजी)	150	100	250	दो	200	100	300
3. गुणापदम- मरूथुइयल (फार्माकोलोजी)	200	100	300	दो	200	100	300
4. गुणापदम- मरून्थाकावियल (फार्मासीयोटिकल्स)	200	100	300	दो	200	100	300
तृतीय व्यावसायिक							
1. नोई नाडल-पेपर I (सिद्ध पैथोलोजी)	200	100	300	एक	100	100	200
2. नोई नाडल-पेपर II (प्रींसिपल ऑफ मॉर्डन पैथोलोजी)	150	100	250	एक	100	100	200
3. नोई अनुगाविधी ओझुक्कम (हाईजीन एवं कम्यूनिटी मेडिसिन इन्कुलिडिंग नेशनल हेल्थ पोलिसिज एवं स्टेटिक्स)	100	---	100	एक	100	---	1001
4. सत्तम सारन्था मरूथुवम नन्जू मरूथुवामुम (फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टाक्सीकोलोजी)	150	100	250	एक	100	100	200
5. रिसर्च मेथोडोलोजी एवं मेडिकल स्टेटिक्स	100	---	100	एक	100	---	100
अन्तिम व्यावसायिक							
1. मरूथुवम (मेडिसिन)	150	200	350	एक	100	100	200
2. वर्मम, पुरामरूथुवम एवं सिराप्पूमरूथुवम (वर्मम थेरापी एक्सर्टनल थेराप एवं स्पेशल मेडिसिन)	150	200	350	एक	100	100	200
3. अरूवई, थोल मरूथुवम (सर्जरी इन्कुलिडिंग डेन्स्ट्री एवं डर्माटोलोजी)	150	200	350	एक	100	100	200
4. सूल, मगालीर मरूथुवम (ओब्सटेट्रीक्स एवं ग्यानाकोलोजी)	100	175	275	एक	100	100	200
5. कुझन्थई मरूथुवम (पेडियाट्रिक्स)	100	175	275	एक	100	100	200

13.शिक्षण स्टॉफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभवः- शिक्षण स्टाफ हेतु अर्हताये एवं अनुभव निम्नवत होंगे :-

(क) अनिवार्य अर्हताएं

(i) विश्वविद्यालय से सिद्ध में बैचलर उपाधि या उसके समकक्ष जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य हों; एवं

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य सिद्ध में स्नातकोत्तर अर्हता ।

बशर्ते इस अधिसूचना के लागू होने से पूर्व शिक्षक जो स्नातकीय सिद्ध उपाधि एवं उच्च अर्हता के आधार पर सम्बन्धित विषय हेतु नियुक्त किए गये हैं एवं उनकी अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य नहीं उन्हे उनके शिक्षक अनुभव के आधार पर उनके वर्तमान पद पर अयोग्य नहीं किया जाएगा लेकिन उन्हे अगले पद पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य सिद्ध स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् ही पदोन्नति दी जाएगी; एवं

(iii) तमिल या अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी मेडिकल बोट्नी एवं फार्माकोगनोसी बायोकैमिस्ट्री, एनाटामी, फिजियोलोजी, माइक्रो बायोलोजी विषयों के लिए सम्बन्धित विषय हेतु मान्य विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) अनुभवः

(i) संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य या डीन या निदेशक) के पद के लिए अर्हता :- प्रोफेसर के पद के लिए विहित योग्यता एवं अनुभव संस्थान के प्रधानाचार्य या डीन या निदेशक के लिए भी यथावत होगी

(ii) प्राध्यापक पद के लियेः दस वर्ष का सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव या पांच वर्ष का एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) का सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान में दस वर्ष का नियमित सेवा का अनुसन्धान अनुभव कम से कम पांच पत्र मान्य जर्नल में प्रकाशन सहित।

(iii) रीडर या सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद के लिएः पांच वर्ष का सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थान में पांच वर्ष का अनुसन्धान का नियमित सेवा का अनुभव कम से कम तीन कागजात मान्य जर्नल में प्रकाशन सहित ।

(iv) सहायक-आचार्य (व्याख्याता) के पद के लियेः प्रथम नियुक्ति के समय आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें वर्तमान नियमा अनुसार सेवारत अभ्यर्थियों को छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी :- डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी उपाधि धारक को एक वर्ष का अध्यापन अनुभव माना जा सकता है।

14. सिद्ध में परीक्षक की नियुक्तिः- संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले नियमित/सेवानिवृत्त अध्यापक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

fVIi.kh अग्रेंजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेंजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा में षिक्षा के न्यूनतम मानक) (संषोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No. 18-12/2016 Siddha (Syllabus UG)-In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for the Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE II

(See regulation 6)

MINIMUM STANDARD FOR SIDDHA MARUTHUVA ARIGNAR COURSE

1. Aims and Objects.- The Bachelor of Siddha education shall aim at producing graduates of profound scholarship having deep basis of Siddha with scientific knowledge in accordance with fundamentals with extensive practical training so as to become efficient physicians and surgeons of Siddha system, fully competent to serve the health care services of the country.

2. Eligibility for admission.- The eligibility to seek admission in Bachelor of Sidha education are as under-

(a) 12th standard with science or any other equivalent examination recognised by any University or Boards with at least fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology.

(b) For reserved category or special category like physically handicapped students in 10+2, they shall be given relaxation in marks for admission in Bachelor of Siddha Medicine and Surgery as per rules for time being in force.

(c) Candidates shall have passed Tamil as one of the subjects in the 10th Standard or in Higher Secondary course.

(d) Candidates who are not covered under clause (c) above, have to study Tamil as a subject during the First Professional course.

(e) For foreign students any other equivalent qualification to be approved by the concerned authorities may be allowed.

3. Duration of course.- The duration of the course shall be five years and six months comprising:-

(a) First Professional	-	Twelve months;
(b) Second Professional	-	Twelve months;
(c) Third Professional	-	Twelve months;
(d) Final Professional	-	Eighteen months;
(e) Compulsory Rotatory Internship	-	Twelve months.

4. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery-B.S.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the course of study extending over the period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

5. Medium of instruction.- The medium of instruction for the course shall be Tamil or Hindi or any recognised regional language or English.

6. Scheme of examination.- (1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session.

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine];

(ii) Tamil Language or Communicative English (wherever applicable);

(iii) Uyir Vedhiyiyal (Bio-Chemistry);

(iv) Maruthuva Thavaralyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy); and

(v) Nunnuyiriyal (Micro Biology).

(c) The failed student of first Professional shall be allowed to appear in second Professional examination, but the student shall not be allowed to appear in third Professional examination unless the student passes all the subjects of first Professional examination and maximum four chances shall be given to pass first Professional examination within a period of maximum three years.

(2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session.

(b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) Udal Koorugal (Anatomy) Paper I;

(ii) Udal Koorugal (Anatomy) Paper II;

(iii) Udal Thathuvam (Physiology) Paper I;

(iv) Udal Thathuvam (Physiology) Paper II;

(v) Siddha Maruthuva Mooligai Ariviyal (Siddha Medicinal Herbal Science); and

(vi) Siddha Maruthuva Kanima, Kanima vethiyal and Siddha Maruthuva Vilangiyal (Siddha Medicinal Geology, Medicinal Chemistry and Medicinal Zoology).

(c) The failed student of second Professional who have passed all the subjects of first professional examination shall be allowed to appear in third Professional examination, but the student shall not be allowed to appear in final professional examination unless the student passes all the subjects of second Professional examination and maximum four chances shall be given to pass second professional examination within a period of maximum three years.

(3) (a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session.

(b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) Noi Naadal -Paper I (Siddha Pathology);

(ii) Noi Naadal -Paper II (Principles of Modern Pathology);

(iii) Noi Anugavidhi Ozhukkam (Hygiene and Community Medicine including National Health Policies and Statistics);

(iv) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology); and

(v) Research Methodology and Medical-statistics.

(c) The failed student of third professional who have passed all the subjects of first and second professional examinations shall be allowed to appear in final professional examination and maximum four chances shall be given to pass third professional examination within a period of maximum three years.

(d) For the purpose of teaching of Research Methodology, Bio-statistician shall be required as part time to teach Research Methodology.

(4) (a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of December every year after completion of one year and six months of final professional session.

(b) The final professional examination shall comprise of the following subjects, namely:-

(i) Maruthuvam (Medicine);

(ii) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special medicine);

(iii) Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery including dentistry and Dermatology);

(iv) Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology); and

(v) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics).

(c) The student failed in any of the four professional examinations in four chances shall not be allowed to continue his or her studies:

Provided that, in case of serious personal illness of a student and in any unavoidable circumstances, the Vice-Chancellor of the concerned University may provide one more chance in anyone of four professional examinations.

(d) To become eligible for joining the compulsory internship programme, all four professional examinations shall be passed within a period of maximum nine years including all chances as mentioned above.

7. Compulsory Rotatory Internship.- (1) Duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examinations and the internship programme shall be start after the declaration of the result of final professional examination.

(2) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

(a) the interns shall receive an orientation regarding programme details of internship programme, in an orientation workshop, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a work book shall be given to each intern, in which the intern shall enter date wise details of activities undertaken by him during his training;

(b) every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;

(c) the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;

(d) normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Siddha hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or permission of the State Government for allowing the graduate of Siddha in the hospital or dispensary of modern medicine, the one-year internship shall be completed in the hospital of Siddha college.

(3) The clinical Training of six or twelve months, as case may be, in the Siddha hospital attached to the college shall be conducted as follows:-

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Maruthuvam	Forty-five days	Three months
(ii)	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	Forty-five days	Three months
(iii)	Aruvai, Thol Maruthuvam	One month	Two months
(iv)	Sool, Magalir Maruthuvam	One month	Two months
(v)	Kuzhanthai Maruthuvam	Fifteen days	One month
(vi)	Avasara Maruthuvam	Fifteen days	One month

(4) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with the National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

(a) Primary Health Centre;

(b) Community Health Centre or District Hospital;

(c) Any recognised or approved hospital of modern medicine;

(d) Any recognised or approved Siddha hospital or dispensary:

The concerned Government may recognise all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) for taking training by interns.

(5) Detailed Guidelines for internship programme.- The guidelines for conducting the internship clinical training of six or twelve months in the Siddha Hospital attached to the college and the intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

(a) Maruthuvam- The duration of internship in this department shall be one and half month or three months with following activities:-

(i) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Siddha medicine;

(ii) routine clinical pathology work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, neerkuri, neikuri mala parisodhanai, interpretation of laboratory data and clinical findings, and arriving at a diagnosis;

(iii) training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine regime;

(b) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam- The duration of internship in this department shall be one and half month or three months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) location of types of Varmam points;

(ii) diagnosis of various pathological conditions due to application of Varmam procedures and techniques;

(iii) procedures of Ilakkumuraigal with internal or external medication;

(iv) various Puramaruthuvam procedures and techniques with special emphasize on Thokkanam;

(v) fractures and dislocations and their management;

(vi) geriatric care (Moopiyal);

(vii) management of psychiatric cases (Ula Pirazhvu Noi); and

(viii) kayakarpam (Rejuvenation therapy and yogam);

(c) Aruvai and Thol Maruthuvam- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Siddha principles;

(ii) management of certain ailments such as fractures and dislocations;

(iii) practical training of aseptic, antiseptics techniques and sterilization;

(iv) intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;

(v) practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;

(vi) radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;

(vii) examinations of eye, ear, nose, throat and other parts of the body with the supportive instruments;

(viii) surgical procedures and routine ward techniques such as-

(a) suturing of fresh injuries;

(b) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;

(c) incision of abscesses;

(d) excision of cysts;

(e) venesection; and

(f) application of Kaaranool in ano-rectal diseases;

(ix) procedures like Anjanam, Nasiyam, Attaividal at Out-Patient Department level;

(x) diagnosis and management of common dental disorders; and

(xi) training in Blood Bank and transfusion procedures;

(d) Sool, Magalir Maruthuvam- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) antenatal and post-natal problems and their remedies; antenatal and post-natal care;

(ii) management of normal and abnormal labours; and

(iii) minor and major obstetric surgical procedures;

(e) Kuzhanthai maruthuvam- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with following activities:-

(i) care for new born child along with immunisation programme; and

(ii) important pediatric problems and their management;

(f) Avasara maruthuvam (Casualty)- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) identification of casualty and trauma cases and their first line management; and

(ii) procedure for referring such cases to the identified hospitals.

(6) The Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine- During the six months internship training in Primary Health Centre, Community Health Centre or District Hospital or any recognized or approved hospital of Modern Medicine or Siddha Hospital or Dispensary, the interns shall-

(i) get acquainted with the routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;

(ii) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;

(iii) get familiaried with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government Health Schemes or Programmes; and

(iv) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.

(7) Internship training in Rural Siddha dispensary or hospital- During the six months internship training in Rural Siddha dispensary or Hospital, interns shall-

(i) get aquatinted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management; and

(ii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunisation programmes.

8. Assessment.- After completing the assignment in various Sections, the interns have to obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submit to the Principal or Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

9. Migration of internship.-

(1) The migration of internship shall be with the consent of the both college and University, in case the migration is between the colleges of two different Universities.

(2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.

(3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a "No Objection Certificate", as case may be.

10. Examination.- (1) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and fifty per cent. in practical or clinical, wherever applicable in each subject.

(2) A candidate obtaining seventy-five per cent. marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.

(3) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.

(4) Each student shall be required to maintain of seventy-five per cent. attendance in each subject (in theory and practical) for appearing in the examination.

(5) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he or she shall appear in supplementary examination as regular students, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.

(6) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject-

(a) Regularity in attendance;

(b) Periodical tests; and

(c) Practical work.

11. Migration-

(1) The students may be allowed to take the migration to continue their study in another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it shall be against the vacant seat after obtaining "No Objection Certificate" from the Central Council.

12. Number of papers and marks for theory and practical.-

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical or Clinical	Total	Number of papers	Theory	Practical or Clinical (including Viva Voce)	Total
First Professional							
1. Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine]	150	---	150	One	100	---	100
2. Tamil Language applicable as per clauses (c) and (d) of regulation 2 relating to eligibility for admission	100	---	100	One	100	---	100
3. Communicative English	100	---	100	One	100	---	100
4. Uyir Vedhiyiyal (Bio-Chemistry)	150	100	250	One	100	100	200
5. Maruthuva Thavara lyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy)	200	100	300	One	100	100	200
6. Nunnuyiriyal (Micro Biology)	100	100	200	One	100	100	200
Second Professional							
1. Udal Koorugal (Anatomy)	200	150	350	Two	200	100	300
2. Udal Thathuvam (Physiology)	150	100	250	Two	200	100	300
3. Gunapadam - Maruthuiyal (Pharmacology)	200	100	300	Two	200	100	300
4. Gunapadam - Marunthakaviyal (Pharmaceuticals)	200	100	300	Two	200	100	300
Third Professional							
1. Noi Naadal - Paper I (Siddha Pathology)	200	100	300	One	100	100	200
2. Noi Naadal - Paper II (Principles of Modern Pathology)	150	100	250	One	100	100	200
3. Noi Anugavidhi Ozhukkam (Hygiene and Community Medicine including National Health Policies and Statistics).	100	---	100	One	100	---	100
4. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)	150	100	250	One	100	100	200
5. Research Methodology and Medical-statistics	100	--	100	One	100	---	100

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
Final Professional							
1. Maruthuvam (Medicine)	150	200	350	One	100	100	200
2. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy External Therapy and Special Medicine)	150	200	350	One	100	100	200
3. Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery including dentistry and Dermatology)	150	200	350	One	100	100	200
4. Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	100	175	275	One	100	100	200
5. Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	100	175	275	One	100	100	200

13. Qualifications and Experience for teaching staff.- The qualification and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

(i) A Bachelor degree in Siddha from a University or its equivalent as recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and

(ii) A Post-graduate qualification in Siddha recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970:

Provided that the teachers who are appointed before the date of the commencement of this notification with the qualification of Under-Graduate degree in Siddha and with a higher qualification in the subject concerned not recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 shall also be considered eligible in their current designation as per their teaching experience, but they shall be promoted to the next or any other grade only after obtaining Post-Graduate degree in Siddha recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and

(iii) For the subjects of Tamil or Communicative English, Medicinal Botany and Pharmacognosy, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Micro-Biology teachers with Post Graduate degree from a recognised University in the subject concerned may also be appointed.

(b) Experience-

(i) **Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director):** The qualification and experience for the Post of Professor shall be the same for the posts of Principal or Dean or Director;

(ii) **For the Post of Professor:** Ten years teaching experience in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum five papers published in a recognised journal.

(iii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Five years teaching experience in concerned subject or five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum three papers published in a recognised journal;

(iv) **For the post of Assistant Professor or Lecturer:** The age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment and it may be relaxed for in-service candidates as per rules.

Note: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

14. Appointment of Examiner in Siddha.- No person other than the regular or retired teacher or researcher with minimum three years teaching or research experience in the concerned subject shall be considered eligible for examinership".

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[Advt. III/4//Exty./290(124)]

Note.- Note- If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016", the English version will be treated as final.